राजस्थान सरकार

पशुपालन विभाग

क्रमांक प.2(13)पपा / 2000 / पार्ट

जयपुर दिनांक 06.1

सचिव,
टैगोर शिक्षा समिति,
कठूमर, अलवर।

विषयः-- पशुपालन विधालय (दो वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रम) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र के संबध में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा आपकी संस्था को ग्राम रेला, खेलडी रोड, कठूमर, (अलवर) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

यह अनापत्ति निम्न शर्तो पर जारी की जाती है।

1. संस्था निदेशक पशुपालन विभाग एंव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तकनीकी संसाधनों से अपने संस्थान को विधालय प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक रूप से सुसज्जित करेगी। मापदण्डों की अवहेलना की स्थिति में संस्था की मान्यता समाप्त की जा सकेगी। फिर भी ऐसा कोई निर्णय लिये जाने से पूर्व निदेशक, पशुपालन विभाग संस्था की अपनी कमियों में सुधार का अवसर प्रदान करेगें।
2. छात्रों की शैक्षणिक योग्यता, पाठयकम एंव परीक्षा पद्वति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। इस संबध में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नही होगा।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निजी संस्थाओं के संबध में समय-- समय पर जारी निर्देशों की संस्था को पालना करनी होगी।
4. शुल्क निर्धारण एव प्रवेश संबधी प्रकिया राज्य सरकार एव पशुचिकित्सा एंव पशुविज्ञान महाविधालय, बीकानेर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा।
5. संस्था को राज्य सरकार किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता, गारंटी व अनुदान नही देगी।
6. संस्था पशुचिकित्सा एंव पशुविज्ञान महाविधालय, बीकानेर से संबद्धता / मान्यता अपने स्तर पर प्राप्त करेगी।
7. संस्था और प्रशिक्षणार्थियो के संबध मे उत्तरदायित्वों के लिए संस्था जिम्मेदार होगी।
8. राज्य सरकार / निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति संस्था का किसी भी समय निरीक्षण करने हेतु अधिकृत रहेगें।
9. पॉच वर्षों तक संस्था में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु निकटतम पशुचिकित्सा संस्था एंव विभाग के कृषि फार्मो को उपयोग में लिया जा सकता है, इस हेतु यदि कोई व्यय होगा तो संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। पॉच वर्ष पश्चात संस्था को अपनी स्वंय की उपरोक्त सुविधाए जुटानी आवश्यक होगी।
10. संस्था को 50 प्रशिक्षणार्थियों (छात्र / छात्राएँ) की भर्ती हेतु अनुमति दी जाती है।

भवदीय

20/

शासन उप सचिव

क्रमांक प 2 (13)पपा / 2000 / पार्ट

जयपुर दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. निजी सचिव, सचिव राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक माननीय पशुपालन मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, पशुपालन विभाग, ।
6. रजिस्ट्रार पशुचिकित्सा एंव पशुविज्ञान महाविधालय, बीकानेर।
7. निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पंजिका

शासन उप सचिव

E/Tec/LSA/NOC